

1295  
11-11-21

Adm. (2/15/17) dms  
sm. P. of. nesh  
11/11/2021

{Authoritative English Text of this Department Notification No. Coop-A(3)-1/2020 dated 10-11-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.}

Government of Himachal Pradesh  
Department of Cooperation

No. Coop-A (3)-1/2020

Dated: Shimla-171002, the

10-11-2021

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Registrar Cooperative Societies, Class-I (Gazetted) in Cooperation Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification namely:-

**Short title and Commencement**

- 1 (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Cooperation Department, Deputy Registrar Cooperative Societies, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2021.
- (2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**Repeal and Savings**

- 2 (1) The Himachal Pradesh Cooperation Department, Deputy Registrar Cooperative Societies (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 Notified vide this department notification No. Coop-A(3)-12/95 dated 13-08-1997 are hereby repealed
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the Rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By Order

Akshay Sood  
Secretary (Cooperation) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Coop-A(3)-1/2020

Dated: Shimla-2, the

10-11-2021

Copy forwarded to following:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2
2. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
3. The Registrar, Cooperative Societies, HP, Shimla with request to upload the notification on official website of the department.
4. The Joint Legal Remembrance-cum-Joint Secretary (Law) to the Government of HP, Shimla-2
5. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2
6. The Controller, Printing and Stationery, HP, Shimla-05.
7. All the Additional/Joint/Deputy/Assistant Registrar Cooperative Societies, HP.
8. Guard file.

(P. K. Taak)

Deputy Secretary (Cooperation) to the  
Government of Himachal Pradesh.



ANNEXURE "A"

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF COOPERATION, HIMACHAL PRADESH.**

1	Name of the post	Deputy Registrar Cooperative Societies
2	Number of post	06 ( Six)
3	Classification	Class-I, Gazetted
4	Scale of Pay	Pay band ₹ 15600-39100 + ₹ 5400 Grade Pay.
5	Whether "Selection" post or "Non- Selection" post	Selection
6	Age for direct recruitment	Not applicable
7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s)	Not applicable
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)	Not applicable
9	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion / secondment / transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by promotion
11	In case of recruitment by promotion/ Secondment /transfer, grade for which promotion/ secondment / transfer is to be made:	By promotion from amongst the Assistant Registrar Cooperative Societies with 03 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.
	(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:	
	(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:	



Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation:-** The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex- servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged.

12	If a departmental promotion committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?	<p><b>Departmental promotion committee</b> To be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a member thereof, to be nominated by him.</p> <p><b>Departmental confirmation Committee</b> As may be constituted by the Govt. from time to time.</p>
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	Not applicable
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment	Not applicable
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).



हिमाचल प्रदेश सरकार  
सहकारिता विभाग

संख्या: कोप-ए(3)-1/2020

तारीख: शिमला-2,

10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में उप रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं, वर्ग-1(राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- |                           |   |     |  |
|---------------------------|---|-----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1 | (1) | इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं, वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2021 है।   |
|                           |   | (2) | ये नियम राजपत्र (ई -गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।   |
| निरसन और व्यावृत्तियां    | 2 | (1) | इस विभाग की अधिसूचना संख्या: कोप-ए(3)-12/95, तारीख 13.08.1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग, उप रजिस्ट्रार (वर्ग-1, राजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है। |
|                           |   | (2) | परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि-मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।                           |

आदेश द्वारा,

अक्षय सूद  
सचिव (सहकारिता)  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
10 नवम्बर, 2021

पृष्ठांकन संख्या: कोप-ए(3)-1/2020

तारीख: शिमला-2,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, ।
3. पंजीयक, सहकारी सभायें, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाये।
4. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 ।
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 ।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5
7. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, हिमाचल प्रदेश।
8. गार्ड नस्ति ।

(पी0 के0 टाक)  
उप सचिव (सहकारिता)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।



हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं, वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम :	उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं
2.	पद(पदों) की संख्या :	6 (छह)
3.	वर्गीकरण :	वर्ग-I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान :	पे बैंड ₹15600-39100 + ₹ 5400 ग्रेड पे ।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए आयु :	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थिति में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11.	प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जाएगा।	सहकारी सभाओं के सहायक रजिस्ट्रारों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:



परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण:-** अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी।

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरिष्ठता अपरिवर्तित रहेगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:	(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी। (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा की विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षा।	लागू नहीं।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	लागू नहीं।
16.	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।
18.	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

\*\*\*\*\*